



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229444
CG-DL-E-06092021-229444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3317]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 3317]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

का.आ. 3620(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना स.का.आ. 2004 (अ), तारीख 30 अगस्त 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 730 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 के डिजाइन कि.मी. 140.000 से कि.मी. 188.826 (वर्तमान कि.मी. 140.000 से कि.मी. 188.800) (लखीमपुर-सीसिया मार्ग) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका-1 के कॉलम-1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 47.787 कि.मी. की निविल सड़क खण्ड लम्बाई एवं 7.31 कि.मी. (0.731 कि.मी. की संरचना जिसकी लम्बाई 60 मी. से अधिक है) की समतुल्य संरचना लम्बाई के लिए तालिका-1 के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट आधार दर का 60 प्रतिशत की दर पर यांत्रिक वाहन से फ्रीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ्रीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका - 1	
वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात:—

तालिका - 2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर-खीरी जिले के सीसिया गाँव में एन.एच.-730 के डिज़ाइन 186.245 पर	47.787 कि.मी.	पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

तालिका - 3			
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर-खीरी जिले के सीसिया गाँव में एन.एच.-730 के डिज़ाइन कि.मी. 186.245 पर	0.731 कि.मी.	7.31 कि.मी.	पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

व्योरे निम्नलिखित है:

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	से कि.मी.	तक कि.मी.		
1.	162.614	163.195	मेजर ब्रिज (दो लेन)	0.581
2.	182.125	182.275	मेजर ब्रिज (दो लेन)	0.150
कुल योग				0.731

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रु. (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
4. राजमार्ग खंड पर बहु यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा होगा उसके चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खंड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।
8. उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।
9. ऊपर सरणी - 1 में यथा - उल्लिखित, आधार वर्ष 2007 - 08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और नियमों के नियम - 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा।
10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु 296.50 करोड़ है। [पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जायेगी]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा और पूंजीगत लागत की वसूली के बाद लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा।

[फा. सं. सीई-आरो/एलकेओ/730/यूपी/2015-16/534]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2021

S.O. 3620(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2004(E) dated 30th August 2012 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway 730 as situated in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 47.787 km and for equivalent structure

length (having length more than 60m) of 7.31 km (having length of 0.731 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Lakhimpur – Sisiya section from design kilometer 140.000 to kilometer 188.826 (existing km 140.000 to km 188.800) of National Highway number 730 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:—

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km. 186.245 of NH-730 in Sisiya village of Lakhimpur-Kheri District of Uttar Pradesh	47.787 Km.	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table-1 above:—

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)	Rate at which fee is payable)
At Design Km. 186.245 of NH-730 in Sisiya village of Lakhimpur-Kheri District of Uttar Pradesh	0.731 Km.	7.31 Km.	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:—

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From Km.	To Km.		
1.	162.614	163.195	Major Bridge	0.581
2.	182.125	182.275	Major Bridge	0.150
			Total	0.731

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometer from the fee plaza is Rs 275.00 (Rs. Two Hundred Seventy Five) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 296.50 crores. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/LKO/730/UP/2015-16/534]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.